संख्या-39/2021/1334/ई-2/तेरह-2021-1404728

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2021

विषयः- गैर शीरा पदार्थों (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटीरियल) से एथनॉल उत्पादन के संबंध में स्पष्टीकरण/आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नीति निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013, दिनांक 26-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(4)(छ) के अंतर्गत गैर शीरा पदार्थों से उत्तर प्रदेश राज्य में एथनॉल उत्पादन एवं ई.वी.पी. के अंतर्गत आपूर्ति को सुगम करने, अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाइयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इसके क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गैर शीरा पदार्थों (अनाज/आलू/ चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य रा-मैटीरियल) से एथनॉल उत्पादन की अनुमति मिलने पर सम्बन्धित इकाई को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है कि उन्हें अनाज व अन्य पदार्थों की प्राप्ति सदैव के लिए स्वतः ही सुलभ हो जाएगी। वास्तव में एथनॉल उत्पादन हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में उक्त स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित इकाई को करना बाध्यकारी होगा।

3. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(ख) में आबकारी आयुक्त के स्तर से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर गाठित समिति के परिप्रेक्ष्य में इंगित शब्दावली ''समिति का स्वरूप निम्नवत् प्रस्तावित हैः-'' के स्थान पर ''समिति का स्वरूप निम्नवत् हैः-'' पढ़ा जाएगा।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-39/2021/1334/ई-2/तेरह-2021तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।